इकाई 14 अपराध और अपचार

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 अपराध और सामाजिक संपर्क

14.2.1 बाल अपचार

14.2.2 अपराध और अपचार

14.3 अपराध और अपचार के जानकारी में नहीं आने वाले मामले

14.3.1 पुलिस रिपोर्ट

14.3.2 अपराध के कारण

14.4 सहज और परिवेश संबंधी कारक

14.4.1 वास्तविकता बनाम कल्पना-संसार

14.4.2 स्वास्थ्य और रोग

14.5 परिवार में परिवेशजन्य कारक

14.5.1 परिवार

14.5.2 परिवार के स्वरूप में बिखराव

14.5.3 बच्चों की देखभाल और अपचार

14.5.4 परिवार में ग़रीबी

14.6 सामाजिक परिवेश

14.6.1 तंग बस्तियाँ (स्लम)

14.6.2 कमाना और स्कूल जाना

14.6.3 जन-संचार माध्यमों का दुष्प्रभाव

14.6.4 ग़रीबी और कम आमदनी

14.7 अपराध और अपचार नियंत्रण की नीति

14.8 सारांश

14.9 शब्दावली

14.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के बाद आपके लिए यह संभव हो सकेगा कि आप :

- अपराध और बाल अपचार पर चर्चा कर सकें;

- अपराध और अपचार के जानकारी में न आने वाले मामलों पर टिप्पणी कर सकें;
- अपराध और अपचार के सहजात और परिवेशजन्य कारकों को समझा सकेंगे; और
- अपराध और अपचार के सिलसिले में पारिवारिक और सामाजिक वातावरण के महत्त्व को स्पष्ट कर सकेंगे।

14.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई (इकाई 13) में हमने ग़रीबी और उसके सामाजिक प्रभाव का प्रभाव का अध्ययन किया। इस इकाई में हम अपराध और बाल-अपचार के बारे में पढ़ेंगे। हम अपराध व उससे संबद्ध क्रियाओं की चर्चा करेंगे और फिर बाल अपराधों और अन्य अपराधों और अपचारों के बारे में बताएँगे। अगले भाग में हम भारत में अपराध और अपचार संबंधी कुछ निर्णायक आँकड़ों पर नज़र डालेंगे। इसके बाद, अपराध के सहज (innate) और परिवेश से जुड़े कारकों की चर्चा होगी। वातावरण में जुड़े कारकों में मुख्यत: परिवार के ढाँचे में आने वाले बिखराव शामिल हैं। इसमें बच्चों की देखभाल, परिवार में ग़रीबी आदि शामिल हैं। इसके बाद हम ''परिवार के बाहर'' के कारकों पर विचार करेंगे और परिवार के चारों तरफ के वातावरण का अध्ययन करेंगे। इस भाग में गंदी बस्तियों का माहौल, कमाना और और स्कूल जाना और संचार माध्यमों के प्रभाव का विश्लेषण शामिल हैं। अंत में, अपराध और अपचार नियंत्रण की नीति पर विचार किया जाएगा।

14.2 अपराध और सामाजिक संपर्क

जब लोग व्यक्तिगत और सामूहिक जरूरतों की पूर्ति के लिए एक स्थान पर जमा होते हैं, वे व्यवहार को निर्धारित करने की सीमा तय करते हैं और नियम बनाते हैं। परन्तु समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, जो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों और कानूनों का पालन नहीं करते।

हर समाज अपने विकास की प्रक्रिया में वांछित आचरण के मूल्यों और आदर्शों का विकास करता है। इन्हीं में से कुछ आदर्शों को बाद में नियमों के रूप में संहिताबद्ध कर लिया जाता है। राज्य इन नियमों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था करता है।

ऐसा कोई काम करना अथवा करने में असफल होना अपराध माना जाता है, जिससे आपराधिक कानून का उल्लंघन होता हो। ऐसा आचरण करने पर जुर्माना, कैद, मृत्युदंड जैसी सजा दी जाती है, ताकि आगे ऐसे अपराध न हों। ''अपराध'' का अर्थ ऐसा समाज-विरोधी आचरण है, जिससे जन-भावनाओं को इतनी चोट पहुँचती है कि कानून उसकी इजाज़त नहीं देता है। अपराध ऐसा कार्य है, जिसे जनता खतरनाक मानती है, ऐसे काम की निदा करती है और ऐसा करने वाले को दंड देती है। इस प्रकार, अपराध अवांछित आचरण के संपूर्ण दायरे का एक विशिष्ट हिस्सा है।

अनैतिक आचरण का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी होता है जिस पर कानूनी तौर से सज़ा नहीं दिलाई जा सकती है। ऐसे व्यवहार पर नियंत्रण समाज के हाथों में होता है। अनैतिक आचरण और अपराध के बीच अंतर कर पाना बड़ा कठिन है। कुछ देशों में जिन कार्यों को अपराध समझा जाता है, अन्य देशों में उन्हें मात्र अनैतिक समझा जाता है। ऐसे आचरणों को समाज में अपराध तभी माना जाता है, जब उन्हें इतना ख़तरनाक समझा जाए कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी हो। एक राज्य में शराब की खरीद-बिक्री अपराध समझा जा सकता है, दूसरे में नहीं। बहुत ज़्यादा शराब पीना अनुचित अवश्य है, पर जहाँ शराब पीने की कानूनी तौर से अनुमति है, वहाँ इसे कानूनन गलत नहीं माना जाएगा। माता-पिता का सम्मान न करना अनैतिक है, पर कानूनन गलत नहीं है। इसलिए यह अपराध नहीं है।

14.2.1 बाल अपचार

अपराध माने जाने वाले कार्य जब एक विशेष उम्र से कम उम्र वालों द्वारा किए जाते हैं, तो उन्हें किशोर अपचार कहते हैं। किशोर अपराधियों की उम्र विश्व भर में एक जैसी नहीं है। भारत में **लड़कों के लिए यह उम्र 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष रखी गई है।** इसका एक पहलू यह भी है कि ऐसे कुछ कार्य जो वयस्कों द्वारा किए जाने पर अपराध नहीं माने जाते, बच्चों और किशोरों द्वारा किए जाने पर गलत समझे जाते हैं। उदाहरण के लिए, 16 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा या किशोर निम्न कार्यों को करे तो उसके मामले में पुलिस और संबंधित अदालतें कार्रवाई कर सकती हैं :

1) स्वेच्छाचारी होने के कारण माँ-बाप या अभिभावकों की बात न माने, अथवा आदतन अवज्ञा करे।

2) आदतन स्कूल जाने में टाल-मटोल करे।

3) अपने निर्धारित खर्चों की सीमा में न रहे।

4) आदतन ऐसा व्यवहार करे, जिससे उसका चरित्र-बल, आत्म-बल और स्वास्थ्य गिर जाए।

14.2.2 अपराध और अपचार

समाज के गठित होने और आचार-संहिताओं के बनाए जाने के समय में ही इनका उल्लंघन करने वाले लोग मौजूद रहे हैं। हर युग और हर समाज में बच्चों, कम उम्र किशोरों और अनेक वयस्कों ने स्वीकृत व्यवहार के नियमों को तोड़ा है। ऐसे आचरण में चिंताजनक वृद्धि हो गई हैं अनेक देशों में तो ग़ैर-कानूनी व्यवहार असहनीय हो गया है। भारत में स्थिति कुछ बेहतर है। लेकिन हमारे देश में भी ऐसे आचरण से होने वाली जन-धन की हानि और उत्पीड़न काफी गंभीर स्थिति में पहुँच गया है।

आजकल देश में औसतन हर सत्रहवें मिनट में **एक** व्यक्ति की हत्या होती है। प्रतिदिन **27** महिलाओं से बलात्कार होता है। हर पाँच मिनट में **एक** दंगा हो जाता है और प्रतिदिन **47** लोगों का अपहरण कर लिया जाता है। हर सोलहवें मिनट एक डकैती हो जाती है और रोज़ाना **35** मकानों में सेंध लगाई जाती है। हर डेढ़ मिनट में एक चोरी होती है। हर साल **3** अरब **35** करोड़ रुपये की सम्पत्ति चुरा ली जाती है, जिसमें से एक-तिहाई ही पुलिस वापस छुड़ा पाती है।

भारतीय दंड संहिता के तहत आने वाले अपराधों (हत्या, बलात्कार, अपहरण, दंगा, डकैती, सेंध लगाना, चोरी, धोखाधड़ी आदि) की ओर नज़र दौड़ाएँ, तो अकेले 1989 में पुलिस ने करीब **23** लाख लोगों को अलग-अलग गिरफ्तार किया था। इनके अलावा स्थानीय और विशिष्ट कानूनों (जैसे मद्य-निषेध कानून, जुआ-निषेध कानून, आबकारी कानून, भारतीय रेलवे कानून, अनैतिक व्यापार निरोध कानून, मादक पदार्थ निषेध कानून आदि, के तहत करीब 40 लाख गिरफ्तार किए गए थे। कुल 63 लाख गिरफ्तारियों में किशोरों की संख्या करीब 36 हजार थी। इनमें 24,777 लड़के और 11,615 लड़कियाँ थीं।

14.3 अपराध और अपचार के जानकारी में नहीं आने वाले मामले

नीचे दिए गए आँकड़े सरकारी रिकार्डों पर आधारित हैं (क्राइम इन इंडिया) लेकिन समाज में वास्तव में कितने लोग कानून तोड़ते हैं, इसके बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता। कई विद्वानों का मानना है कि अपराध और अपचार के सरकारी आँकड़ों से मात्र ऐसी घटनाओं को रोकने वाली एजेंसियों (पुलिस) के कार्यों का अंदाज लगता है। आपराधिक आचरण वास्तव में कितना व्यापक है, इसका पता इन आँकड़ों से नहीं चलता। फिर भी पुलिस की जानकारी

में आने वाले आपराधिक आँकड़े ही सर्वोत्तम उपलब्ध सूचकांक हैं क्योंकि ये नागरिकों द्वारा पुलिस में दर्ज़ किए गए अथवा पुलिस द्वारा पता लगाए गए मामलों को प्रकाश में लाते हैं।

तालिका 1 : भारत में अपराध पर एक विहंगम दृष्टि

कुल अपराध घटनाएँ ('00,000 में)	**1951**	**1961**	**1971**	**1981**	**1991**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**
कुल	NA	NA	38.6	39.3	50.5	64.1	61.8	49.1	51.6
भारतीय दंड संहिता	6.5	6.3	9.5	13.9	16.8	17.2	17.8	17.6	17.7
विशेष व स्थानीय कानून	NA	NA	29.1	25.4	33.7	46.9	44.0	31.5	33.9
दर*									
कुल	NA	NA	701.1	569.8	594.3	671.2	636.7	497.8	515.7
भारतीय दंड संहिता	NA	16.2	26.8	61.0	12.6	7.9	9.4	8.9	9.3
विशेष व स्थानीय कानून	NA	NA	142.8	97.7	22.1	4.4	6.0	5.6	5.6
बाल अपराध घटनाएँ ('000 में)									
कुल	NA	NA	169.6	158.7	34.7	12.3	15.4	14.5	14.9
भारतीय दंड संहिता	NA	16.2	26.8	61.0	12.6	7.9	9.4	8.9	9.3
विशेष व स्थानीय कानून	NA	NA	142.8	97.7	22.1	4.4	6.0	5.6	5.6
दर*									
कुल	NA	NA	30.8	23.2	4.1	1.3	1.6	1.5	1.4
भारतीय दंड संहिता	NA	3.7	4.9	8.9	1.5	0.8	1.0	0.9	0.9
विशेष व स्थानीय कानून	NA	NA	25.9	14.3	2.6	0.5	0.6	0.6	0.5
दस वर्षीय अपराध घटनाएँ ('000 में)									
कुल	NA	NA	NA	1.8	28.4	28.3	18.7	-8.7	5.5
भारतीय दंड संहिता	NA	-3.1	50.8	46.3	21.1	22.2	23.5	15.3	10.4
विशेष व स्थानीय कानून	NA	NA	NA	-12.7	32.4	30.7	16.9	-18.2	3.1

पुलिस बल ('00,'000 में) (वास्तविक)									
कुल	NA	NA	7.07	8.98	11.53	12.80	13.1	13.2	13.0
असैनिक	NA	NA	5.34	6.92	9.04	9.90	10.2	10.3	10.3
सशस्त्र	NA	NA	1.73	2.06	2.49	2.90	2.9	2.9	2.7
दस वर्षीय पुलिस वृद्धि	NA	NA	—	27.0	28.4	20.8	23.3	17.7	15.1
पुलिसकर्मी सघनता (प्रति 100 वर्ग किमी.)	NA	NA	—	27.3	35.1	40.4	41.5	41.8	41.0
पुलिस बल (प्रति 1,00,000 जनसंख्या)	NA	NA	129	131	136	134	135	134	129

*प्रति लाख (1,00,000) जनसंख्या घटनाएँ

NA – इसका अर्थ है उपलब्ध नहीं

ग़ैर-जनगणना वर्षों के लिए जनसंख्या आँकड़े आर.जी.आई. कार्यालय द्वारा प्रदत्त वर्ष-मध्य पर आधारित हैं।

तालिका 2 : अपराध आलोक-चित्र : 2000

- 17.2 लाख आई.पी.सी. (भारतीय दंड संहिता) अपराध : वर्ष के दौरान दर्ज़ 34.0 लाख एस.एल.एल. (विशेष व स्थानीय कानून) अपराध, आई.पी.सी. अपराधों में 0.4 प्रतिशत वृद्धि; वर्ष 1999 में एल.एल.एल. अपराधों में 7.9 प्रतिशत वृद्धि।
- गत वर्ष आई.पी.सी. अपराध दर में 1.2% गिरावट, एस.एल.एल. अपराध दर में 6.2 प्रतिशत वृद्धि।
- देश में एक मिनट में औसतन दर्ज़ 3 आई.पी.सी. अपराध, 6 एस.एल.एल. अपराध।
- राज्यों में, पश्चिम बंगाल, बंगाल और सिक्किम के मुकाबले राजस्थान, जम्मू-कश्मीर तथा असम अधिक हिंसक रहे, जहाँ निम्न हिंसक अपराध दर दर्ज की गई थी।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी आई.पी.सी. अपराधों की उच्चतम दर (399.0) दर्ज़ की गई, जो कि राष्ट्रीय अपराध दर 176.7 की 2.3 गुनी थी। त्रिपुरा के मुकाबले दिल्ली में हिंसक अपराधों की प्रायिकता अपेक्षाकृत निम्न रही (13 दर्ज़ आई.पी.सी. अपराधों में एक केस), 4 जहाँ राष्ट्रीय औसत 1:7 के मुकाबले 3 आई.पी.सी. अपराधों में 1 हिंसक अपराध दर्ज़ किया गया।
- लड़कियों के आयात में 6300 प्रतिशत वृद्धि, जालसाज़ी में 70.7 प्रतिशत, यौन-उत्पीड़न के मामलों में 746 प्रतिशत।
- सभी शहरों में बीच बंगलौर में आधे से अधिक (53.1) धोखाधड़ी के मामले दर्ज़ किए गए।
- 79.0 प्रतिशत आई.पी.सी. केसों की जाँच-पड़ताल हुई और उनमें से 78.4 प्रतिशत को आरोप-पत्र दिए गए। 18.3 प्रतिशत केसों पर मुकदमा चला, उनमें से 41.8 अपराध सिद्ध हुए।

- 30.7 प्रतिशत मुकदमे 1 से 3 वर्ष में निबटे, 24.2 प्रतिशत 3 से 5 वर्ष में।
- राष्ट्रीय स्तर दर 41.8 के मुकाबले पांडिचेरी में आई.पी.सी. अपराधों की उच्चतम अपराध सिद्धि दर दर्ज़ की गई (91.9 प्रतिशत)।
- यौन-उत्पीड़न मामलों में 67.4 प्रतिशत दोष-सिद्धि, तदोपरांत 'वाहन चोरी' मामलों में 48.1 प्रतिशत।
- वर्ष 1999 में कुल आई.पी.सी. अपराधों में बाल-अपराधों का 0.5 प्रतिशत भाग 4.3 प्रतिशत बढ़ा।
- उत्तर प्रदेश में हत्या के 20.7 मामले दर्ज़ हुए जबकि हत्या के शिकारों में 40 प्रतिशत जो गोली मारकर की गई हत्याएँ थीं, बिहार से संबंध रखती थीं।
- औसतन प्रति आई.पी.सी. केस 1.5 गिरफ्तारियाँ।
- महिलाओं के प्रति अपराधों में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि। सम्पूर्ण भारत में 14.1 के मुकाबले उच्चतम अपराध घटनाएँ उत्तर प्रदेश में (14.0%); उच्चतम अपराध दर राजस्थान में (24.0)।
- वर्ष 1999 में वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद संबंधी मामलों में 960 प्रतिशत वृद्धि, गर्भ-हत्या के मामलों में 49.2 प्रतिशत की वृद्धि।
- बिहार राज्य से लड़कियों का आयात 62.5 प्रतिशत दर्ज़ किया गया।
- बलात्कार के 87.4 प्रतिशत मामलों में अपराधी पीड़ितों के परिचित थे; इनमें से 30 प्रतिशत पड़ोसी थे।
- बच्चों के प्रति अपराध 19.3 प्रतिशत; मध्य प्रदेश में उच्चतम।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सम्बद्ध 33.7 प्रतिशत बच्चे (10 वर्ष तक की आयु के) व्यवहरण और अपहरण के शिकार।
- 28.8 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों का उच्चतम प्रतिशत भाग; 44.0 प्रतिशत मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों में उच्चतम प्रतिशत भाग।
- पुलिस अधिकारियों (ए.एस.आई. व उससे ऊपर) और अधीनस्थ स्टाफ (हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल) का 1:7 राष्ट्रीय औसत।
- केवल 38.6 प्रतिशत पुलिस बल को ही सरकार द्वारा आवास-सुविधा दी गई।
- केवल 5.9 प्रतिशत गुम/ पुनर्प्राप्त मोटर वाहन का समन्वयन हुआ।
- पुलिस मृत्युसंख्या में 11 प्रतिशत की गिरावट; उनमें से 56 प्रतिशत दुर्घटनावश थे। लगभग आधे (46.5%) दिवंगत युवा थे (18-35 वर्ष)।
- 111 सेवारत पुलिस अधिकारियों ने आत्महत्या की।

स्रोत : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2001, *भारत में अपराध*, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

14.3.1 पुलिस रिपोर्ट

पुलिस द्वारा अपराध का पता लगाए जाना उसकी कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। लेकिन कई कारणों से लोग पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहते। ऐसे कुछ कारण हैं :

1) अपराध बड़ा मामूली हो

2) थाना दूर हो

3) लोगों का कानून प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं पर विश्वास न हो (जैसे पुलिस, मुकदमेबाजी, अदालतें आदि)

4) अपराधी और उसके सहयोगियों द्वारा परेशान किए जाने का भय

5) अपराध के शिकार व्यक्ति के लिए इसके बारे में बताना लज्जाजनक हो (सैक्स संबंधी अपराध)

6) किशोरों के मामलों में पड़ोसियों की सम्पत्ति के बच्चों द्वारा किए गए नुकसान की माँ-बाप भरपाई कर दें, दुकान से सामान चुराते किशोर के पकड़े जाने पर उससे सामान लेकर उसे छोड़ दिया जाए, आदि ऐसे अनेक अपचार हो सकते हैं, जिनकी देखने वाले या ऐसे अपराधों से नुकसान उठाने वाले भी यह सोचकर अनदेखी कर लें कि बढ़ते बच्चों से ऐसी गलती हो ही जाती है।

छिपे अपराधों और अपचारों के आँकड़े यानी ''डार्क फिगर्स'' का मामला तब और जटिल हो जाता है, जब हम ''स्वयं रिपोर्ट'' किए जाने के मामलों के परिणामों की समीक्षा करते हैं। हमारे देश में तो ऐसा प्रयास नहीं किया गया है, मगर पश्चिमी देशों में शोधकर्त्ताओं ने स्कूलों-कालेजों के सामान्य विद्यार्थियों की पहचान गुप्त रखते हुए उनकी ऐसी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की है जो समाज-स्वीकृत नहीं है। परिणामों से पता चलता है कि ऐसे विद्यार्थियों का व्यवहार सामाजिक नीति-नियमों का पालन करने वाले लड़के-लड़कियों से बहुत भिन्न नहीं था। लेकिन प्रशिक्षण-स्कूल के बहुत से किशोर-किशोरियों ने अनेक अपचारों में लिप्त रहने की बात को अवश्य स्वीकारा। उन्होंने ऐसे गलत काम स्कूल-कॉलेजों में लड़के-लड़कियों की तुलना में ज़्यादा बार किए।

ऐसे व्यवहार में सामाजिक-आर्थिक स्तर का कोई भेद नहीं था। हालाँकि ''अधिकारिक मामलों'' (Offical cases) में निम्न वर्ग के लोगों का अनुपात अधिक था। इसे समझना आसान है क्योंकि परिवार के सामाजिक-आर्थिक स्तर पर यह काफी हद तक निर्भर करता है कि अपराध करने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा, सजा दी जाएगी या उसे समझा-बुझाकर सामाजिक नियमों-परंपराओं का पालन करने वाला बनाया जाएगा अथवा अन्य किसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। हम जब अपनी किशोरावस्था की भूलों का स्मरण करें, तो इस बात की पुष्टि हो सकती है। मित्रों और अतिथियों के बीच अनौपचारिक पूछताछ से ऐसी अनेक जानकारियाँ मिलती हैं कि ''अच्छे परिवारों के बच्चे और किशोरों ने भी कैसे चोरी, दुकान से सामान उठा लेने, दोस्तों से लड़ाई-झगड़ा, बगीचों से चोरी से फल-फूल तोड़ने और चलती रेलगाड़ियों पर पत्थर फेंकने जैसे गलत काम किए। इनकी रिपोर्ट किए जाने पर इन किशोरों को निश्चित रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता।

14.3.2 अपराध के कारण

बाल अपराध और वयस्कों के अपराधों के क्या कारण हैं? इसका कोई सीधा-सरल उत्तर नहीं है। हालाँकि वयस्क अपराधों के बीच कभी-कभी किशोर अपराधों में होते हैं, पर अनेक किशोर अपराधी बड़े होकर अपराधी नहीं बनते। कई बार ऐसा भी होता है कि किशोरावस्था में अपराधों की कोई पृष्ठभूमि नहीं होने के बावजूद व्यक्ति बड़ा होकर अपराधी बन जाता है। फिर भी, अपचार और अपराध दोनों में कुकर्मों का दायरा प्रेरणाएँ और संबद्ध कारण काफी हद तक समान होते हैं। अत: इन पर साथ-साथ विचार किया जाना उचित होगा।

सोचिए और करिए 1

अखबारों से अपराधों के समाचारों की कतरनें चार सप्ताह तक जमा करें। इनसे अपराध के कारणों के बारे में क्या निष्कर्ष निकलते हैं? इस बारे में दो पृष्ठ की टिप्पणी लिखें और अध्ययन केंद्र के अन्य विद्यार्थियों से अपनी टिप्पणी की तुलना करें।

कुछ बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को कौन-से कारण सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने या कानून तोड़ने के लिए उकसाते हैं? अनेक लेखकों और शोधकर्त्ताओं ने इन कारणों को समझने का प्रयास किया है और उन्होंने अनेक कारणों का पता लगाया है, जैसे शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और परिवेश संबंधी एक जाने-माने विद्वान् का कहना है कि इस बारे में कोई एक विश्वव्यापी अथवा ऐसे दो-तीन स्रोत निर्धारित नहीं किए जा सकते। अपराध के कारण बड़े व्यापक हैं। अक्सर इसके अनेक और मिले-जुले कारण होते हैं। ऐसी करीब 170 स्थितियों को पहचाना गया है, जो अवांछित आचरण के लिए व्यक्ति को उकसाती हैं। समय बीतने पर ऐसा व्यवहार ही उसे किशोर अपराधों और वयस्क अपराधों की ओर ले जाता है। किसी भी अपराध में अन्य सहायक कारकों के बीच कोई एक (या कहें कुछेक) परिस्थिति(याँ) ही अक्सर उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है/हैं।

कोष्ठक 14.01

यह माना जाता है कि अपेक्षतया कुछ विशेष परिस्थितियों में अपराध ज़्यादा पनपते हैं, हालाँकि यह नहीं कहा जा सकता ये हर हालत में अपराध अथवा अपचार को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए – शारीरिक विकलांगता, मानसिक, असंतुलन, मानसिक कमजोरी, भावनात्मक, असुरक्षा, गंदी बस्तियों का माहौल, माँ-बाप का अनुचित रवैया, अच्छी शिक्षा न मिलना, अपराधियों से दोस्ती, ग़रीबी, अपराध को बढ़ावा देने वाला वातावरण, आदि। स्पष्ट है कि ये कारण असामाजिक आचरण के लिए इनकी विपरीत परिस्थितियों की तुलना में कहीं अधिक जिम्मेदार हैं। यह सच है कि ऐसी सभी परिस्थितियाँ हर हाल में किसी व्यक्ति को अपराध करने को प्रेरित नहीं करतीं। यह भी सच है कि अच्छी लगने वाली परिस्थितियों में भी यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि कोई व्यक्ति अपराध नहीं करेगा। ऐसे अप्रत्यक्ष कारण हमेशा मौजूद रहते हैं जिन्हें विश्व में सभी कारण-संबंधी सिद्धांतों द्वारा विशिष्ट स्थितियों से अलग नहीं किया जा सकता है।

ऐसी जटिल परिस्थिति में हम यही कह सकते हैं कि मानव व्यवहार का अनजाना पक्ष काफी महत्त्वपूर्ण है, हालाँकि अपराध और अपचार में कुछ व्यक्तिगत कारक और कुछ सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ भी प्रभावी होती हैं। इन कारकों का प्रभाव और इनका अनुपात हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है। कुछ मामलों में व्यक्तिगत कारक परिवेशजन्य कारकों से ज्यादा प्रबल होते हैं, जबकि कुछ मामलों में परिवेशजन्य कारक प्रबल हो सकते हैं।

बोध प्रश्न 1

1) बाल अपराध क्या है? पाँच से सात पंक्तियों में समझाइए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) अपराध के कारण-संबंधी तथ्यों को समझाइए। पाँच से सात पंक्तियों में उत्तर दें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

14.4 सहज और परिवेश संबंधी कारक

अब अपराधों के सहज और वातावरण जन्य कारकों की कुछ विस्तार से चर्चा की जाएगी। व्यक्तिगत कारणों में कमजोर स्वास्थ्य, लम्बी बीमारी और अपंगता जैसे शारीरिक कारक आते हैं, जिनसे हीनभावना पनपती है, जो व्यक्ति को स्पर्धी जगत् में आगे बढ़ने के लिए अपराध का छोटा रास्ता पकड़ने को उकसाता है। मंद बुद्धि मस्तिष्क की अथवा मनोवैज्ञानिक गड़बड़ियों जैसे मानसिक कारकों का परिणाम शोषण, विवशता और समाज-अस्वीकृत सैक्स-व्यवहार में होता है। भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर लंबे समय तक उपेक्षित किए जाने पर भी व्यक्ति में उग्र और हिंसक व्यवहार पनपने की आशंका रहती है।

भावनात्मक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति भावनाओं को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करना जानता है। वह शांत रहता है और समाज-स्वीकृत व्यवहार के साथ तालमेल बनाकर रखता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि अपचार और आपराधिक आचरण गंभीर भावनात्मक असंतुलन अथवा व्यक्तियों के व्यक्तित्व में परस्पर विरोधी भावों के टकराव से पैदा होता है। ऐसे व्यक्तियों के विचार अपने समाज के मूल्यों और नियमों से मेल नहीं खाते और वे अपने घनिष्ठ लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचाते हैं। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का व्यक्तित्व विकृत होता है। उसकी निजी सनकें उसके असामाजिक आचरण के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होती हैं और वह अपने सामाजिक परिवेश से अलग-थलग पड़ जाता है।

14.4.1 वास्तविकता बनाम कल्पना-संसार

बहुत कम लोगों का जीवन बचपन से लेकर वयस्क होने तक उनकी अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप गुजरता है और बहुत कम लोगों के जीवन में सभी अनुभव संतोष भरे होते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने चारों ओर ऐसा कल्पना-लोक गढ़ लेते हैं, जिसमें रहकर वे अपनी अतृप्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। लेकिन इन सभी सामान्य मामलों में वास्तविकता ही उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और कामकाज में प्रमुख भूमिका निभाती है। दूसरी ओर, भावनात्मक परेशानियों से घिरे कुछ लोग वास्तविकता का सामना नहीं कर पाते। इससे मानसिक द्वंद्व पैदा होता है। बचपन से ही उनके अनुभव ऐसे हैं कि वे मानसिक प्रतिक्रियाओं को ऐसा स्वरूप विकसित कर लेते हैं, जिससे उनके लिए वयस्क जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना बड़ा कठिन हो जाता है। हो सकता है वे असुरक्षा, बहिष्कार जबर्दस्त विद्वेष, जीवन की कठिन परिस्थितियों, अपने कार्यक्षेत्र

की असफलता और अनेक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों से पीड़ित रहे हों। इन कारणों से, उनके लिए जीवन की सच्चाइयों को झेल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है और वे कानून के विपरीत आचरण कर बैठते हैं।

शारीरिक विकलांगता और कमियों से बच्चों और बड़ों के व्यक्तित्व में अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। छोटा कद, त्वचा रोग, बड़े कान, मोटापा आदि कमियों से बच्चों से सामाजिक संपर्कों में व्यक्तित्व-संबंधी और भावनात्मक गंभीर परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। समाज में ऐसे लोगों की उपेक्षा की जाती है और शादी-ब्याह के मामले, रोज़गार पाने और अनेक अन्य क्षेत्रों में ये लोग नुकसान में रहते हैं। इन लोगों के हृदयों में पनपता हुआ गुस्सा बहुत अधिक गंभीर रूप ले बैठता है, जिससे अनेक तरीके से सामाजिक अलगाव पनपते हैं। हो सकता है, कोई युवा अपनी हीनभावना से उबरने के लिए खतरनाक डाकू बन जाए, अथवा अपने को कष्ट देने वाले वास्तविक या काल्पनिक लोगों पर जवाबी हमले करे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनमें से ज्यादातर लोग इस दुनिया के साथ उचित तालमेल बिठा लेते हैं। ऐसे लोग तो ज्यादा अच्छी तरह तालमेल बिठा लेते हैं, जिन्हें बचपन में उनकी समस्याएँ समझने वाले माता-पिता मिलें और जिनके मित्रों ने उनके उपेक्षा न की हो।

14.4.2 स्वास्थ्य और रोग

हम देखते हैं कि बुरे स्वास्थ्य और रोगग्रस्त थके हुए लोग अक्सर जल्दी चिढ़ जाते हैं, तर्कसंगत बातें नहीं करते और उनका व्यवहार सामान्य लोगों की तुलना में कम नियंत्रित होता है। कमजोर मन वाले लोग अपराध और अपचार के कुचक्र में जल्दी फंस जाते हैं क्योंकि वे विवेकपूर्ण तरीके से नहीं सोच पाते हैं और वे अक्सर संतोषजनक फैसला नहीं ले पाते और उचित व्यवहार नहीं कर पाते। ऐसी मानसिक बीमारी की स्थिति में, जो व्यक्ति का आत्म-संयम और अच्छे-बुरे का निर्णय करने की क्षमता को गड़बड़ा देती है, उसका व्यवहार बेतुका, खतरनाक अथवा समाजविरोधी हो सकता है। सैक्स-संबंधी हत्याएँ, चोरी करने की प्रवृत्ति (क्लैप्टोमेनिया), आगजनी आदि ऐसे अपराध हैं जिनके पीछे मानसिक विकृति काम कर रही होती है।

14.5 परिवार में परिवेशजन्य कारक

निस्संदेह अपराध और अपचार की हर स्थिति में व्यक्तिगत कारक जुड़े होते हैं जिसमें व्यक्ति कानून तोड़ता है। लेकिन समाज-विरोधी कार्यों को उकसाने में परिवेशजन्य सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक कारण भी महत्त्वपूर्ण होते हैं। सामान्यतया परिवेश का अर्थ हम मात्र व्यक्ति के जीवन से जुड़े नजर आने वाले कारकों से लेते हैं, इनमें उसका पास-पड़ोस, घर पारिवारिक जीवन, स्कूल, कार्य-स्थल और मित्रों से संपर्क आते हैं। निश्चय ही से सब परिवेश के अंग हैं। लेकिन वैज्ञानिक धारणा के रूप में, किसी व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ से, यहाँ तक कि उसके गर्भ में आने से, जो-जो प्रेरक प्रभाव उसकी काया और व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, वे सभी परिवेश के तहत आते हैं। एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से हर संभव संपर्क परिवेश के अंतर्गत आ जाता है। वह कैसी पुस्तकें पढ़ता है, कैसी फिल्में (यहाँ तक कि पोस्टर भी!) देखता है तथा रेडियो, टेलीविजन – सभी उसके परिवेश के ही अंग हैं।

14.5.1 परिवार

हम परिवेशजन्य कारकों का दो भागों में अध्ययन कर सकते हैं – ''परिवार के अंदर'' और ''परिवार के बाहर''। हालांकि इन दोनों को बिल्कुल अलग-अलग नहीं किया जा सकता। दोनों

एक-दूसरे के निरंतर संपर्क में रहते हैं और एक-दूसरे पर असर डालते हैं। साथ ही इनका व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर निरंतर असर पड़ता है।

बच्चे के जीवन में परिवार पहला महत्त्वपूर्ण समूह है। जन्म के समय कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि बच्चा आगे चलकर अपराधी ही बनेगा या कानून का पालन करने वाला भला आदमी बनेगा। परिवार बच्चे के सामाजिक और व्यक्तिगत विकास को दिशा देने वाला पहला माध्यम है। परिवार में ही ऐसी जबर्दस्त शक्तियाँ हैं, जो बच्चे में समाज-विरोधी व्यवहार पनपा सकती हैं अथवा ऐसा व्यवहार पनपने को रोक सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसी वक्त बच्चा परिवार पर पूरी तरह निर्भर होता है और पूरी तरह परिवार के ही संपर्क में होता है। यह अवधि कई वर्षों तक चलती है। स्नेह व प्रेम भरे, स्थायी और घनिष्ट संबंधों वाले परिवार से बच्चा सीखता है कि समाज के लोगों का रवैया दोस्ती भरा है, उनसे परिचय बढ़ाना अच्छा है और उन पर विश्वास किया जा सकता है। जब परिवार में स्नेह-प्रेम न होकर सब एक-दूसरे से रूखा व्यवहार करें, उनका रवैया अपमानित और उपेक्षित करने वाला हो, तो बच्चा लोगों के प्रति अविश्वास और शत्रुता रखना तथा घृणा करना सीखेगा।

परिवार के अंदर की स्थितियों और संबंधों के परस्पर जुड़े अनेक पक्ष हैं। ये सब मिलकर जो वातावरण बनाते हैं, उनका बच्चे के व्यवहार पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, ऐसे परिवारों की बातें करें जो माता-पिता में से किसी की मृत्यु, घर छोड़ देने या तलाक अथवा अलग रहने की बजह से बिखर गए हैं। माता और पिता परिवार-रूपी गाड़ी के दो पहिए जैसे हैं और एक के भी निकल जाने या इनके संबंधों में तालमेल तथा सौहार्द समाप्त हो जाने से यह गाड़ी अच्छी तरह नहीं चल सकती। यह माना जाता है कि ऐसे टूटे परिवारों में पले बच्चों के व्यक्तित्व में अनेक कमियाँ रह जाती हैं। ऐसे बीमार व्यक्तित्व वाले लोग आमतौर पर सामाजिक नियमों के अनुरूप चलने में बड़ी परेशानियाँ महसूस करते हैं। अनेक शोधकर्त्ताओं के विश्लेषण के अनुसार किशोरों और युवाओं के अपराधी होने के पीछे अक्सर परिवार का बिखराव भी महत्त्वपूर्ण कारण होता है।

14.5.2 परिवार के स्वरूप में बिखराव

परिवार के स्वरूप में बिखराव (मृत्यु को छोड़कर) हमेशा माता-पिता के बीच रोज-रोज के झगड़ों से होता है। बहुत तनाव और रोजमर्रा की जिंदगी की शांति भंग हो जाने का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कुछ स्थितियों में तो माता-पिता में से एक का अलग हो जाना ही घर के माहौल को बहुत बेहतर बना सकता है। इस तरह परिवार के आपसी संपर्क बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। जिन परिवारों में आपसी तालमेल और सौहार्द नहीं होता, उनमें बच्चे भी परेशान होकर घर से दूर होने लगते हैं। वे बाहर की दुनिया के आकर्षण में बंधकर घर से बाहर नहीं निकलते, बल्कि घर की असुरक्षा और कुंठा भरे माहौल से मुक्ति पाने के लिए घर से निकल जाते हैं।

अपचार और अपराधों का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला कारण बच्चों से सही पालन-पोषण में माता-पिता की अक्षमता ही है। समाजीकरण (Socialisation) की प्रक्रिया के तहत बच्चा समाज के बुनियादी आदर्शों और मूल्यों को समझता है और उन्हीं के अनुरूप अपना दृष्टिकोण विकसित करता है। बचपन में ही परिवार से मिला प्रशिक्षण इन मूल्यों को पनपाने में बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ते बच्चे को यह अवश्य सीखना चाहिए कि किस काम को करने की समाज इजाज़त देता है और किस काम के लिए रोकता है। साथ ही, ऐसी सामाजिक अनुमति और निषेध का कारण क्या है। बच्चे को अन्य बच्चों और बड़ों के साथ उचित व्यवहार करना भी सीखना चाहिए। घर के अनुशासन, निर्देशों और घर के सदस्यों के व्यवहार के अनुकरण से ही बढ़ता बच्चा घर के अंदर और बाहर के तमाम दबावों और दायित्वों को निभाना सीखता है।

माता-पिता और बच्चे के बीच स्नेह का सहज और प्राकृतिक बंधन होता है। लेकिन बच्चे के व्यवहार पर सर्वांगीण प्रभाव डालने के लिए यह स्नेह ही पर्याप्त नहीं है। स्नेह के साथ निरंतर नियंत्रण और अनुशासन के प्रयास भी जरूरी हैं। जब माता-पिता का व्यवहार अनिश्चित बना हो तो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है। उसके मन में हमेशा यह अनिश्चय बना रहता है कि उसके किसी कार्य पर माता-पिता की प्रतिक्रिया क्या होगी? यह देखता है कि माता-पिता कभी गुस्सा करते हैं, कभी दिलचस्पी लेते हैं, कभी उदासीन रवैया अपना लेते हैं। इससे बच्चा भ्रमित हो जाता है, तब तो उसकी समस्या और भी बढ़ जाती है जब माता-पिता एक-दूसरे के विपरीत व्यवहार करने लगते हैं। एक सहानुभूति दिखाता है तो दूसरा फटकारता है।

14.5.3 बच्चों की देखभाल और अपचार

महिलाओं के कामकाजी होने पर अक्सर यह आपत्ति उठायी जाती है कि बच्चे के उचित भावनात्मक और शारीरिक विकास के लिए माँ की निरंतर देखभाल चाहिए। जब महिला दिन में काफी देर काम पर बाहर चली जाती है और थकी-माँदी घर लौटती है, तो वह बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे पाती। साथ ही किशोरावस्था में बच्चे पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। माँ के कामकाजी होने पर यह संभव नहीं हो पाता और बच्चे पर बुरी बातों का असर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अभी हमारे पास जो प्रमाण हैं, उनसे माँ के कामकाजी होने और अपराध तथा अपचार के बीच कोई सीधा संबंध प्रमाणित नहीं होता है। महत्त्वपूर्ण मुद्दा माँ का रोज़गार नहीं, बल्कि बच्चे पर बच्चे पर उचित ध्यान नहीं देना है। अगर माँ घर पर रहकर भी बच्चे पर उचित ध्यान नहीं देती, तो उस स्थिति में उसमें अपराध प्रवृत्ति पनपने की ज़्यादा आशंका होती है, जबकि काम पर जाने पर भी अगर माँ ने बच्चे की देखभाल की समुचित वैकल्पिक व्यवस्था की है, तो उसके बिगड़ने की कम गुंजाइश होती है। सच तो यह है कि कामकाजी माँ का आर्थिक योगदान परिवार का स्वायित्व और तालमेल बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इसके पीछे परिवार को ज़्यादा सुरक्षा देने, बच्चों की शिक्षा जारी रखने, छुट्टियाँ अच्छी तरह से मनाने अथवा परिवार के लाभ की अनेक चीजें जुटाने की इच्छा भी हो सकती है।

14.5.4 परिवार में ग़रीबी

समाज विरोधी व्यवहार का एक प्रमुख कारण घर की ग़रीबी को भी माना जाता है। यह सच है कि गलत कामों के लिए पकड़े गए बच्चों में ज़्यादातर ग़रीब परिवारों से होते हैं। आँकड़ों से भी पता चलता है कि करीब दो-तिहाई बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं, जिनकी मासिक आय 2000 रुपये से अधिक है (1989 के आँकड़ों के अनुसार)। लेकिन यह भी सच है कि ज़्यादातर ग़रीब बच्चे अपराधी नहीं होते। ग़रीबों में ईमानदार लोगों की संख्या बेईमानों से बहुत अधिक है। समृद्धि होना युवाओं या वयस्कों द्वारा कानून न तोड़ने की कोई निश्चित गारंटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो पश्चिमी देशों में, जहाँ जीवन-स्तर बहुत ऊँचा है, अपराधों ओर अपचारों की दर कम होती। लेकिन समृद्धि के साथ वहाँ अपराध घटे नहीं, बल्कि बढ़े हैं। एक विशेषज्ञ का कहना है कि पश्चिमी देशों में लोग भूखे होने के कारण चोरी नहीं करते, वे ईर्ष्या और द्वेष से ऐसा करते हैं।

यह एक विरोधाभास भरी स्थिति है कि उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में समानता की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ-साथ और अधिक समानता की अपेक्षाएँ भी बढ़ती हैं। जब अपेक्षाएँ जीवन-स्तर में सुधार की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ती हैं, तो उपभोक्ता वस्तुएँ जितनी ज़्यादा उपलब्ध होती हैं, उतना ही असंतोष भी बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में, अनेक अपराधों के मूल में आर्थिक कारण होते हैं। लेकिन यह भी सच नहीं कि ज़्यादातर लोग भूख और अभाव से पीड़ित होकर अपराध करते हैं। अनेक छोटे-छोटे अपराध भूख और अभावों के कारण नहीं, बल्कि

ईर्ष्या और महत्त्वाकांक्षा होते हैं। लालच कई बड़े अपराधों का कारण है। वस्त्रों का अभाव नहीं, बल्कि बेहद कीमती वस्त्रों की लालसा सैकड़ों लड़कियों को वेश्यावृत्ति की ओर प्रेरित करती है। वास्तव में ग़रीबी नहीं, बल्कि सदा विषमता ही बुराइयों को जन्म देती है।

बोध प्रश्न 2

1) रिक्त स्थानों की पूर्ति करें : अपचार के प्रमुख कारकों में ..... और ..... कारक शामिल हैं।

2) परिवार के अंदर के परिवेशजन्य कारक क्या हैं? परिवार में बिखराव का अपचारों और अपराधों पर क्या असर पड़ता है? सात से दस पंक्तियों में उत्तर दें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

14.6 सामाजिक परिवेश

इस भाग में तीन प्रमुख कारकों पर संक्षेप में चर्चा की जाएगी –

i) निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर वाली तंग बस्तियाँ या स्लम;

ii) पढ़ाई-लिखाई के जरिए ईमानदारी के कुछ कमाने के प्रयास; और

iii) जन-संचार माध्यम – जैसे रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, अखबार और पत्रिकाएँ।

14.6.1 तंग बस्तियाँ (स्लम)

गाँवों से लोगों के शहरों की ओर निरंतर पलायन से शहरों-कस्बों में आवास एक समस्या बन गई है। बिना आसरे के बेरोज़गार और कम आमदनी वाले लोग झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं। समाज के इन वंचित वर्गों में अपराध की दर ऊँची है क्योंकि इनमें जीवन एकदम अस्त-व्यस्त होता है। रोजी-रोटी कमाने में बड़े दबाव हैं। झुग्गियों में रहने वाली लोग भी ऐसी ही अच्छी चीजें चाहत हैं जिनको वे दूसरों को आनंद उठाते देखते हैं। उन्हें अक्सर ऐसा लगता है अच्छी शिक्षा और अच्छे अवसर न मिल पाने से वे ये चीजें ईमानदारी से नहीं पा सकते। इससे उनके मन में कुंठा और तनाव पनपते हैं। उनमें से कुछ कानून से प्रति अपेक्षा भरा रवैया अपनाने लगते हैं और उसका पालन आवश्यक नहीं समझते। अक्सर अपराध उनके लिए जीवन का मान्य तरीका और ईमानदार काम का एक सरल विकल्प बन जाता है क्योंकि ईमानदारी की रोजी या तो मिलती नहीं या उनकी पहुँच से बाहर होती है। अब यह बात दीगर है कि ईमान की कमाई को बेहतर और अवांछनीय माना जाता है। उनके आस-पास ऐसे गलत-चरित्र वाले लोग भी होते हैं, जो नजायज तरीकों से खूब पैसा कमा कर इलाके के सम्मानित व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसे असामाजिक तत्त्वों के प्रभाव में आकर और लोग इनकी नकल करने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी यह देखते हैं कि अपराध और अपचार का गंदी बस्तियों के माहौल से अप्रत्यक्ष

संबंध ही है। इन्हीं बस्तियों में रहने वाले हजारों लोग ग़ैर-कानूनी गतिविधियों से अपने को दूर ही रखते हैं।

14.6.2 कमाना और स्कूल जाना

शिक्षा का मतलब बच्चे को रोजी-रोटी कमाने के उपयुक्त तरीकों को सिखाने के साथ-साथ व्यक्तित्व का विकास भी है। शिक्षा के जरिए, बच्चे को ऐसे आदर्शों और श्रेष्ठ व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए जिनकी प्रेरणा उसमें एक शालीन और विशाल दृष्टिकोण विकसित कर सके। आम तौर पर मध्यवर्गीय परिवारों में आगे निकलने की महत्त्वाकांक्षा प्रबल होती है। शैक्षिक उपलब्धियों और लम्बे समय तक आर्थिक लाभ देने वाले शिल्पों की जानकारी बहुत अच्छी समझी जाती है। मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चों के समाजीकरण के दौरान उन्हें कड़े संघर्ष, आत्म-नियंत्रण और वर्तमान के आराम छोड़कर सुनहरे भविष्य के लिए योजनाएँ बनाने की प्रेरणा देते हैं। ग़रीब परिवारों में ऐसा समाजीकरण महत्त्वहीन रह जाता है। बच्चों का अक्सर स्कूल छुड़ा दिया जाता है क्योंकि परिवार की उसकी कमाई की जरूरत होती है। माँ के मेहनत-मज़दूरी के लिए चले जाने पर बच्चे को अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल भी करनी होती है। स्कूल छोड़ देने का मतलब है और ज़्यादा खाली वक्त। ऐसा खाली वक्त मिलने पर बड़ों की देखरेख कम हो जाती है और गलत तत्त्वों से मेल-जोल की आशंका बढ़ जाती है।

14.6.3 जन-संचार माध्यमों का दुष्प्रभाव

जन-संचार माध्यम निश्चय ही जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने के साधन हैं, मगर आजकल इस बात पर बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है कि ये माध्यम भी समाज पर बुरा असर छोड़ रहे हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि समाचार-पत्र, फिल्मी पत्रिकाएँ, कॉमिक्स, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्में खास तौर से बच्चों पर बुरा प्रभाव छोड़ रहे हैं। अखबारों में अपराधों के सनसनीखेज समाचारों में अपराध करने के तरीकों का वर्णन भी विस्तार से दिया जाता है। इसके दो ख़तरे हैं। एक तो इससे बच्चों और किशोरों के मन में ऐसा ही अपराध करने की इच्छा पनपती है। बच्चों और किशोरों का मन बड़ा जल्दी प्रभावित होता है। दूसरे, अपराधों के विवरण के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर दोहराए जाने से कानून और व्यवस्था के प्रति उपेक्षा और उदासीनता का रवैया पनपता है। अपराधों की कहानियों वाली फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि ग़ैर-कानूनी तरीके से जीना बड़ा आसान है। फिल्मों में अपराधी जीवन की बड़ी रोमांचक तस्वीर पेश की जाती है, भले ही अंत में अपराधी को नुकसान ही होता है।

ये फिल्में, कम से कम शुरू के हिस्से में, यह संकेत देती हैं कि कानून से बचने के कई तरीके हैं। युवा लड़कियों को फिल्मों से लगता है कि प्यार करना बड़ा रोमांचक और बढ़िया कपड़ों से ही औरतें अच्छी लगती हैं। फिल्मों में अनेक दृश्य सैक्स भड़काने वाले होते हैं। टेलीविज़न का महत्त्व बढ़ता जा रहा है और वह ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुँच रहा है। टेलीविज़न अपने आप में बुरा नहीं है। बुराई के अपराधों से भरी फिल्मों और कार्यक्रमों में है। ऐसी हिंसा और अश्लीलता दर्शकों को बलात्कार, वेश्यावृत्ति, डकैती, हमले और हत्या की ओर उकसाती हैं।

सोचिए और करिए 2

टेलीविज़न या सिनेमा हॉल में दो-तीन व्यावसायिक फिल्में देखें। इन फिल्मों में नायक और अपराधी (खलनायक) के चरित्र में क्या-क्या विभिन्नताएँ हैं? क्या दोनों कानून तोड़ते हैं? फिर सामाजिक स्तर और दंड मिलने के मामले में दोनों में अंतर क्यों किया जाता है?

दो पृष्ठों में उत्तर लिखें और अपने निष्कर्षों की अध्ययन केन्द्र में अन्य विद्यार्थियों के निष्कर्षों से तुलना करें।

भारत जैसे कम साक्षरता वाले देश में, सामान्य रवैये तथा आचरण के प्रति दृष्टिकोण पर रेडियो के प्रभाव अखबारों व किताबों से कहीं अधिक है। रेडियो कार्यक्रमों में भी अपराध से जुड़े नाटक, हिंसक विषयों वालों फिल्मों के विज्ञापन आपत्तिजनक हैं। खास तौर से फिल्मों के निर्माताओं/ वितरकों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऐसे होते हैं।

अनेक विद्वानों का कहना है कि अपराध और अपचारों की बिगड़ती स्थिति के लिए सूचना-माध्यमों को बहुत अधिक दोषी मानना उचित नहीं है। कभी-कभी ज़रूर अपराधी बताते हैं कि उन्हें अपराध करने का तरीका अमुक अखबार में छपे अमुक अपराधी के कारनामों से पता चला। लेकिन ऐसे विवरण सामान्य जनता को भी अपराधियों के तौर-तरीकों से अवगत कराते हैं और यह भी बताते हैं कि अंतत: अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ा ही जाता है। रेडियो, टेलीविज़न और फिल्मों को भी लाखों लोग देखते-सुनते हैं। इनमें बच्चे-बड़े सभी शामिल हैं। यह कहना एकदम गलत होगा कि उन सब पर इनका बुरा असर पड़ता है। यह तो व्यक्ति के अपने चरित्र पर निर्भर करता है। मजबूत इच्छा-शक्ति वाले बच्चों, किशोरों या वयस्कों पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह प्रभाव अस्थायी होता है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले व सामाजिक दृष्टि से असंतुलित लोगों पर कुछ असर पड़ सकता है, जनसंख्या के ऐसे अनिश्चित हिस्से के लिए सूचना-माध्यमों पर कड़े नियंत्रण लगाना उचित नहीं है। आज के युग में जन-संचार माध्यमों का जानकारी, शिक्षण और मनोरंजन देने में महत्त्व बढ़ता जा रहा है। लोकतांत्रिक समाजों में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बड़ा ही नाजुक मुद्दा है।

14.6.4 ग़रीबी और कम आमदनी

गिरफ़्तार और अपराध-सिद्ध लोगों में बड़ी संख्या उनकी है जो खराब आर्थिक स्थिति से संबंध रखते हैं। ध्यातव्य है कि जब कानून तोड़ा जाता है तो उनके – पुलिस और अदालत के बीच आने वाला कोई भी नहीं होता है। उनके पास संसाधनों का अभाव होता है और पुलिस के साथ-साथ अन्य कानून लागू करने वाले प्राधिकरण उन पर और ज़ुल्म ढाते हैं। सही अर्थों में कानून लागू करने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आर्थिक सुख वाले व्यक्ति के प्रति नितांत अनुकूल के रूप में देखा जाता है। यदि विभिन्न आर्थिक स्तर वाले दो व्यक्तियों ने एक ही अपराध किया है, अधिक संभव है कि निम्न स्तर वाला गिरफ्तार किया जाएगा, और अपराध-सिद्ध भी।

स्वीकार करना पड़ता है कि आर्थिक कारक बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं। ग़रीबी अनेक प्रत्यक्ष तरीकों से समाज-विरोधी गतिविधियों का ख़तरा पैदा कर सकती है। असंतोषजनक मानवीय संबंधों को प्राय: ही अभावग्रस्तता और ग़रीबी से उद्‌भूत होते देखा जाता है। अपर्याप्तता का एहसास और भावात्मक असुरक्षा संभावित अपराधियों के आन्तरिक जीवन में अपनी भूमिका निभाते हैं। ग़रीबी अल्पपोषण और खराब शारीरिक स्वास्थ्य को जन्म देती है जो कि, बदले में, कुकर्म प्रेरण के प्रति एक निम्नीकृत मानसिक प्रतिरोध की ओर प्रवृत्त कर सकती है। ग़रीबी के मारे परिवारों के पास आवासीय स्थान के चुनाव हेतु बहुत थोड़े विकल्प हो सकते हैं। प्राय: वे चाल अथवा झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं जहाँ जीवनदशाएँ अति संकुल होती हैं, खेल के मैदान एकाध अथवा वो भी नहीं होते हैं। यहाँ रहने के लिए जगह इतनी कम होती है कि आत्म-सम्मान वाले व्यक्तित्व के विकास के लिए आराम और एकान्त जुटाना मुश्किल होता है।

ज़ाहिर है, ग़रीबी और खराब दशाओं की वजह से बच्चों के विकल्प बहुत ही सीमित हो जाते हैं। इन परिवारों में, जो कि आम तौर पर औसत से बड़े होते हैं, जहाँ रहने की जगह कम होती है और जहाँ अपर्याप्त सुविधाएँ होती हैं, बच्चों को आमोद-प्रमोद के लिए गलियों में भेज दिया जाता है। खर्च संबंधी रोज़ के झगड़े, प्राय: जो मियाँ-बीबी के बीच कलहयुक्त खीज को जन्म देते हैं, जब न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतों जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा आदि हेतु बहुत थोड़ा-सा धन

होता है, परिवार पर अत्यधिक दबाव डालते हैं। ऐसी स्थिति में माता-पिता अपने बच्चों पर बहुत थोड़ा अथवा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, यद्यपि वे उनसे स्नेह रखते हैं। इसके अलावा, धनाभाव के कारण अक्सर ही स्कूल जाने वाले बच्चों की जायज़ माँगों का उपहास उड़ाया जाता है और उसका शिक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

तथापि, जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया, हम यह नहीं कह सकते हैं कि ग़रीबी का परिवेश ही हर किसी को अपचारी या अपराधी बनाता है क्योंकि ऐसे तमाम लोग हैं जो इस प्रकार के परिवेश से ही आते हैं और कानून मानते हैं। परन्तु ग़रीब भिन्न-भिन्न लोगों के लिए भिन्न-भिन्न काम करती है। कुछ लोगों के लिए इसके दबाव समाज-विरोधी व्यवहार के महत्त्वपूर्ण कारणों में हो सकते हैं।

बोध प्रश्न 3

1) सही उत्तर पर टिक (✓) का निशान लगाइए –

   क) झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के बढ़ने से अपराध की दर भी बढ़ती है।

   ख) झुग्गी-झोपड़ियों का अपराध की दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और ऐसी बस्तियाँ बढ़ने से अपराधों की दर कम हो जाती है।

2) जन-संचार माध्यमों का अपराधों पर क्या असर पड़ता है? लगभग पाँच पंक्तियों में उत्तर दें।

.....

.....

.....

.....

.....

14.7 अपराध और अपचार नियंत्रण की नीति

वयस्कों के अपराध और किशोर अपचार हर समाज में, हर काल में होते रहे हैं और होते रहेंगे। इन्हें नियंत्रित करना ही संभव है। अपराधी व्यवहार के कारणों का व्यापक समीक्षा करते हुए हमें मानवीय प्रकृति पर ध्यान देना होगा, जिसमें अपराध प्रवृत्तियाँ मौजूद होती हैं। इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए भीतर व बाहर अंकुश लगाने वाली संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। जब परिवार, विद्यालय और स्थानीय समाज अपनी भूमिका सही तरीके न निभा रहे हों या ये भंग हो जाएँ, तो आपराधिक प्रवृत्तियों को खुली छूट मिल जाती है। साथ ही जब आपराधिक न्याय प्रणाली अपर्याप्त या प्रभावहीन हो जाए, तो कुछ लोग नैतिक संवेदनाओं से रिक्त हो जाते हैं। कानून लागू करने की बेहतर व्यवस्था, ज़्यादा कर्त्तव्यपरायण और मुस्तैद पुलिस तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए नए वैज्ञानिक तरीकों से कुछ हद तक अपराधों पर काबू पाया जा सकता है। अगर अपराध का निश्चित रूप से पता लग जाए, अदालतों में तेजी से कार्रवाई हो और उचित दंड मिले तो संभव है कि अनेक लोग अपराध न करें। साथ ही ग़रीबी और इससे जुड़ी बुराइयों को दूर करने से भी अपराध कम हो सकेंगे। पारिवारिक संबंधों को मज़बूत बनाया जाना चाहिए और बच्चों को खेलने को खुला और अच्छा स्थान मिलना चाहिए। उन्हें गलत संगत और बुरी आदतों से बचाया जाना चाहिए। हालाँकि इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन इतना स्पष्ट है कि बचपन में खाली समय के बेहतर इस्तेमाल की जितनी अच्छी सुविधाएँ होंगी, बच्चों के विभिन्न अपचारों और अपराधों में उलझने की गुंजाइश उतनी ही कम होगी।

साथ ही, ऐसे उपाय भी किए जाने चाहिए कि अपराधियों को उचित सलाह, शिक्षा और विभिन्न धंधों का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपने व्यवहार को सुधार सकें और फिर अपराध न करें। बाल संस्थानों, नारी निकेतनों और जेलों जैसे सही रास्ते पर लाने वाले संस्थानों में ये काम हो सकते हैं। अपराधियों के लिए प्रोबेशन, पेरोल/ लाइसेंस और छूटने के बाद उनका ध्यान रखने जैसे उपायों से भी ये लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें किशोर अपराधियों और वयस्क अपराधियों को सुधारना है और उन्हें नई जिंदगी देना है, तो इसके लिए और अधिक प्रशिक्षित लोग तथा पर्याप्त संसाधन जरूरी हैं।

14.8 सारांश

इस इकाई में हमने अपराध और अपचार के बारे में चर्चा की। हमने अपराध और उनके सामाजिक संपर्क, किशोर अपचार और अपराध तथा अपचार की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। फिर हमने अपराध और अपचार के ऐसे मामलों की चर्चा की जिनकी जानकारी नहीं मिल पाती। हमने परिवेश संबंधी कारकों का अध्ययन किया। इनमें यथार्थ और कल्पना लोक का अंतर तथा स्वास्थ्य और रोगग्रस्तता की चर्चा शामिल थे। परिवेश-संबंधी कारकों में परिवार का स्वरूप, इस स्वरूप में बिखराव, बच्चों की देखभाल और अपचार आदि शामिल थे। हमने परिवार के आसपास के माहौल, जैसे तंग बस्तियों और जन-संचार माध्यमों के प्रभाव के बारे में बताया। अंत में हमने अपराध और अपचार पर नियंत्रण की नीति पर विचार किया। इस प्रकार हमने इस विषय को पूरी गहराई से समझाने का प्रयास किया।

14.9 शब्दावली

डार्क फिगर्स (Dark Figures) : ऐसे आँकड़े जो जानकारी में नहीं आते।

अपचार (Delinquency) : नियमों और आदर्शों का उल्लंघन, जो अक्सर अपराध माना जाता है।

परिवेश (Environment) : यह परिवार में या बाहर का हो सकता है। परिवार के अंदर का माहौल और बाहर का परिवेश, जैसे गंदी बस्तियाँ आदि इसमें शामिल हैं।

सहजात या जन्मजात (Innate) : जो किसी व्यक्ति या वस्तु में बिना किसी बाहरी प्रभाव के स्वत: होती है। जैसे, गणित की जन्मजात प्रतिभा।

स्लम (Slums) : बेहद बुरी हालत में, बुनियादी सुविधाओं से रहित, ग़रीब लोगों की बस्तियाँ।

14.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) किशोर अपचार एक विशिष्ट उम्र से कम के बच्चे द्वारा किया गया अपराध है। सारे विश्व में इस बारे में एक ही उम्र नहीं मानी जाती। भारत में यह उम्र लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष रखी गई है।

2) किशोर अपचार के कोई सरल और सीधे सपाट कारण नहीं हैं। फिर भी, शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और परिवेश संबंधी कारणों की इनमें प्रमुख भूमिका है।

बोध प्रश्न 2

1) ''जन्मजात'' और ''परिवेशजन्य''।

2) व्यक्ति के कामकाज में परिवार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समूह है। परिवार के सौहार्दपूर्ण होने से अच्छा असर पड़ता है। उपेक्षा और अनदेखी करने वाले परिवार में पला बच्चा लोगों पर अविश्वास और घृणा करने लगता है। पारिवारिक बिखराव में तालमेल समाप्त होना, झगड़े या माता-पिता अथवा किसी एक की मृत्यु होना है। माता-पिता की ओर से ऐसी अक्षमता किशोर अपचारों का प्रमुख कारण है।

बोध प्रश्न 3

1) (क)

2) जन-संचार माध्यमों की जानकारी देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इनका बुरा असर हो सकता है। सनसनीखेज खबरों से, जिनमें अपराध का पूरा विवरण होता है, बच्चों के जल्दी प्रभावित हो जाने वाले मन पर बुरा असर पड़ता है और ये खबरें उन्हें अपराध करने की उकसाती हैं। फिल्में दिखाती हैं कि अपराध करने से कैसे फायदा होता है। जन-संचार माध्यमों से बलात्कार और डकैती जैसी कई अपराधों की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।